

इ<u>लैक्ट्रोनिक आरक्षण पर्ची</u> <u>आई.आर.सी.टी.सी.ई-टिकटिंग सेवा (पर्सनल</u> उपयोगकर्ता)



1.आप भेजे गए ई-टिकट एसएमएस या ईआरएस के स्क्रीन शॉट यानी वर्चुअल रिजर्वेशन मेसेज (वीआरएम)के साथ वास्तविक पहचान पत्र लेकर यात्रा कर सकते हैं। यह टिकट पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ ही मान्य होगा। कृपया पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ यात्रा करें। यदि कोई यात्री मूल पहचान पत्र के बिना यात्रा करता है, तो बिना टिकट माना जाएगा और वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार प्रभार शुल्क लगाया जाएगा।कृपया पेपर और पर्यावरण को बचाएं और ईआरएस मुद्रित (प्रिन्ट) न करें, जब तक ऐसा करने के लिए बेहद जरूरी नहीं हो।

2.केवल कंफर्म/आरएसी/आंशिक रूप से कंफर्म ई-टिकट ही यात्रा के लिए मान्य हैं।

3. <u>पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाला ई-टि</u>कट यात्रा के लिए अमान्य है यदि यह चार्ट तैयार करने के बाद टिकट पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में रहता है तो बुकिंग राशि की वापसी बुकिंग के लिए उपयोग किए गए खाते में जमा की जाएगी। पूरी तरह से प्रतीक्षारत ई-टिकट पर यात्रा करना अवैध है।

4.ई - टिकट के बुकिंग पर ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मान्य आईडी कार्ड:- मतदाता पहचान कार्ड / पासपोर्ट / पैनकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोआईडी कार्ड , मान्यता प्राप्त स्कूल या कालेज के छात्र पहचान पत्र / तस्वीर के साथ जारी केडिट कार्ड / आधार कार्ड, एम-आधार, ई-आधार। / राज्य / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगर निकाय और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी किए गए क्रम संख्या वाले फोटो पहचान पत्र / यात्री अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉग-इन कर के "इश्युड डॉक्यूमेंट"सेक्शन से आधार/ ड्राइविंग लाइसेंस दिखता है तो इसे पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में माना जाएगा (उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज अर्थात "अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स"सेक्शन के दस्तावेज, पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे)।

5.सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996411: 150 किलोमीटर तक की दूरी तक के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की स्थानीय भूमि परिवहन सेवाएं सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996416: पर्यटन टिकट के लिए रेलवे द्वारा पर्यटन स्थलों की यात्रा करना सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996421: 150 किमी से अधिक दूरी के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं

6.<u>इस टिकट को बुक करते समय. आपने अपनी यात्रा के गंतव्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को पढ़ने की सहमित दी है। आपको फिर से सलाह दी जाती है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गंतव्य राज्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सलाहकार को स्पष्ट रूप से पढें और उनका ठीक से पालन करें।</u>

पीएनआर संख्या: 6244936111	गाड़ी संख्या एवं नाम : 02331 / HWH JAT SPECIAL	कोटा: GENERAL (GN)					
ट्रांजेक्शन संख्या: 100002489223910	बुकिंग की तिथि: 18-Dec-2020 07:48:39 HRS HRS	श्रेणी: SECOND AC (2A)					
कहाँ से: PATNA JN(PNBE)	यात्रा की तिथि: 16-Jan-2021	कहाँ तक: JALANDHAR CANT(JRC)					
गाडी में चढ़ने का स्टेशन: PATNA JN(PNBE)	गाड़ी में बैठने की तिथि: 16-Jan-2021	निर्धारित प्रस्थान समय: N.A.					
कहाँ तक आरक्षण: JALANDHAR CANT(JRC)	निर्धारित आगमन समय: N.A.	वयस्कः ३ बच्चेः ०					
यात्री का मोबाइल नंबर: 6239744984		दूरी: 1277KM					
ात्री का पता: S/O: Moti Lal Jaiswal , HAJIGANJ AGA HUSSAIN KA CHOURAHA OPP- KAILASH BHAWAN, PATNA CITY Patna Rural Nagla, Patna, Bihar - 800008							
N ICHECK TIMINGS BEFORE BOAR							
DING							

Stay Protected from Corona







NO CARELESSNESS UNTIL THERE IS A CURE

किराये का विवरण :

टिकट किराया **	₹ 7935.0	सात हज़ार नौ सौ पैंतीस रुपये तथा शून्य पैसा
आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क (जीएसटी सहित) #	₹ 23.6	तेईस रुपये तथा साठ पैसा
यात्रा बीमा प्रीमियम (जीएसटी सहित)	₹ 1.47	एक रुपये तथा सैंतालीस पैसा
कुल किराया (सब मिलाकर)	₹ 7960.07	सात हज़ार नौ सौ साठ रुपये तथा सात पैसा

- ** जीएसटी सहित ₹ 377.82 Only
- # ई टिकट सुविधा शुल्क प्रति टिकट यात्रियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना

यात्री का विवरण :

क्रम सं	नाम	आयु	लिंग	बुकिंग स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	MOTI LAL JAISWAL	61	Male	CNF/A1/33/LOWER	CNF/A1/33/LOWER
2	SAROJ JAISWAL	56	Female	CNF/A1/34/UPPER	CNF/A1/34/UPPER
3	RAJNI JAISWAL	33	Female	CNF/A1/35/SIDE LOWER	CNF/A1/35/SIDE LOWER

भारतीय रेलवे जीएसटी विवरण :

चालान संख्या : PS20624493611111 पता: Indian Railways New Delhi

	·	आपूर्तिकर्ता की जानकारी प्राप्तकर्ता की जानकारी			कर योग्य राशि	सीजीएसटी		एसजीएसटी/ यूजीएसटी		आईजीएसटी		कुल कर	
l	एसएसी कोड	जीएसटीआईएन	जीएसटीआईएन	नाम	पता	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	
l	996421	07AAAGM0289C1ZL				7557.18					5.0	377.82	377.82000732421875

<u>यह टिकट व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी पर बुक की गई है और किसी एजेंट द्वारा नहीं बेची जा सकती है। इसकी बिक्री / खरीद रेलवे अधिनियम,1989</u> की धारा 143 के तहत अपराध है।

आपूर्ति का स्थान: 10(Bihar) आपूर्तिकर्ता का राज्य कोड / नाम : () टिकट मुद्रण का समय: 18-Dec-2020 07:49:31 HRS IR recovers only 57% of cost of travel on an average.

बिना विज्ञापन वाली आरक्षणपर्ची छापे! [X]

महत्वपूर्ण सूचनाऐँ:

यह बुकिंग COVID-19 के तहत स्पेशल ट्रेन में के गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची के जरूरी निर्देश संख्या 3, 10 और 11 लागू नहीं होंगे। कृपया IRCTC की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर उपलब्ध अलर्ट सेक्शन में मुख्य विशेषताएं देखें अथवा <mark>यहाँ क्लिक करें</mark>।

- 1.ई टिकर्टिंग सेवाओं के नियम और शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया www.irctc.co.in विजिट करें ।
- 2.मेल के माध्यम से भेजा गया VRM / ERS में छपे प्रस्थान व आगमन समय ,गाड़ी के वर्तमान प्रस्थान व आगमन समय में अंतर हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले रेलवे पूछताछ संख्या 139 पर फोन कर या 139 पर संदेश भेज कर सही प्रस्थान व आगमन समय सुनिश्चित कर लें।
- 3.धन वापसी के नियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन है। धन वापसी के संशोधित नियम 12 -11 -2015 से लागु है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर सामान्य जानकारी -टिकट रद्दीकरण और वापसी नियम 12 नवंबर 2015 से प्रभावी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है)।
- 4.आरक्षित बर्थ स्थानांतरित नहीं की जा सकती है और यह तभी बैध है जब कोई भी एक मूल पहचान पत्र यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यात्री के पास यात्रा के दौरान SMS /इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची / वर्चुल आरक्षण संदेश उपलब्ध नहीं है तो 50 रुपये शुल्क प्रति टिकट ,टिकट जांच कर्मचारी द्वारा लिया जायेगा और उस के बदले में अतिरिक्त किराया टिकट जारी की जाएगी।
- 5.आवेदक को इंटरनेट के माध्यम से अपनी टिकट www.irctc.co.in पर रद्द करने की अनुमति है।
- 6.वह पी एन आर जो की पूर्णतया प्रतीक्षासूची में है , ऐसे टिकटों पर उन यात्रियों का नाम चार्ट पर नहीं दिखेंगे। उन्हें रेलगाड़ी पर चढ़ने की अनुमित नहीं होगी। परन्तु आंशिक रूप से प्रतीक्षासूचीबध/कन्फर्म/आरएसी सूचि वाले यात्रियों का नाम चार्ट पर होंगे।
- 7.आंशिक रूप से प्रतीक्षारत ई-टिकट के मामले मे टीटीई/ कंडक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करे, (A)बुक यात्री के यात्रा न करने पर, (B)एसी काम नही करने पर, (C)निम्न श्रेणी मे यात्रा करने पर । धनवापसी का दावा करने के लिए ऑन लाइन टी डी आर निर्धीरत समय मे दर्ज कर टीटीई से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र GGM (आईटी), आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीए बिल्डिंग, स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली 110055 पर भेजा जाना चाहिए ।
- 8.किसी यात्री का ई टिकट आंशिक रूप से प्रतीक्षारत ई टिकट/आरएसी/पूर्णतया प्रतीक्षारत हो और वह यात्रा नहीं करता तो उन सभी यत्रियों को ऑन लाइन टी डीआर रेलवे धन वापसी के नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जायेगी।
- 9.आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in पर टीडीआर धनवापसी का अनुरोध पंजीकृत करने पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धनवापसी नियमों के अनुसार कारवाई की जाती है।(विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर महत्वपूर्ण जानकारी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।
- 10.कंफर्म टिकट टेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है । लेकिन टेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले रद्द की गई टिकट पर ही धनवापसी होगी ।
- 11.आरएसी/आंशिक कंफर्म टिकट टेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है । हालांकि धनवापसी रेलवे के मौजूदा धनवापसी प्रावधानों के तहत होगी ।
- 12.एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दसा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पृष्टिकृत है और अन्य का आर ए सी या प्रतीक्षासूचि में है तो पृष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात किराए का पूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अध्यधीन अनुज्ञेय होगा की ये टिकट ऑनलाइन रद्द करेंगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री ऑनलाइन टी डी आर फाइल करेंगे।
- 13.सुविधा ट्रेन के लिए, 20 जनवरी 2018 से धन वापसी के नियम साधारण धन वापसी नियमों के अनुसार लागू होंगे।
- 14.न पर ट्रैन रद्द होने की स्थिति में स्वचालित प्रणाली द्वारा पूर्ण धनवापसी किया जायेगा। यदि ट्रैन अपने गंतव्य से आँशिक रूप से रद्द हो तो यात्री को अपने बोर्डिंग स्टेशन से ट्रैन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटो के भीतर टीडीआर दर्ज करना होगा।
- 15.यात्रियो को सुचित किया जाता है कि यात्रा के समय ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करे और ट्रेन मे धूम्रपान वर्जित है।
- 16.ग्राहक सहायता के लिए सम्पर्क करे: 24x7 Hrs. 0755-6610661, 0755-4090600 या ई-मेल करे care@irctc.co.in
- 17.1500 से अधिक ट्रेनों में भोजन के लिए विविध व्यंजन उपलब्ध हैं । अपनी सीट पर अपने पसंदीदा भोजन की डिलीवरी पाने के लिए www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या टोलफ्री नंबर 1323 पर कॉल करें । ख़ान पान सेवाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुझाव एवं शिकायत के लिये कृपया टोल फ्री नंबर 1800-111-321/1322 (07.00 प्रातः से 11.00 रात्रि) पर संपर्क करे ।
- 18.मेडिकल इमरजेंसी / प्राथमिक सहायता के लिए, टिकट स्टाफ़ / गार्ड से संपर्क करें या डायल करें 138. (अखिल भारतीय यात्री हेल्पलाइन नंबर हैं 138)
- 19.पीएनआर और टेन आगमन / प्रस्थान जानकारी नंबर 139
- 20.यात्रा के दौरान परेशानी की स्थिति में रिपोर्ट करने के लिए, रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 डायल करें।
- 21.सभी दिए गए नियम और शर्तें तभी लागू होंगे जबकि यात्रा बीमा सुविधा का विकल्प चुना गया हो । कृपया www.irctc.co.in वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध यात्रा बीमा नियम और शर्तों को देखें
- 22.कभी भी अनिधकृत एजेंट या व्यक्ति जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी निजी आईडी का प्रयोग कर रहे हैं उनसे ई-टिकट न खरीदें । इस तरह की टिकट भारतीय रेलवे अधिनयम 1989 के अनुच्छेद 143 के तहत रह करने और बिना धनवापसी किए जब्त करने योग्य होगी । अधिकृत एजेंट की सूची www.irctc.com पर उपलब्ध है ई-टिकट एजेंट लोकेटर
- 23.ई टिकट के रद्दीकरण और धनवापसी के लिए ग्राहक द्वारा जनरल नियमों / सूचना का अध्ययन किया जाना चाहिए ।
- 24.एजेंटों (IRCTC और रेलवे एजेंट दोनों) के माध्यम से विशेष ट्रेन टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपयोगकर्ताओं को एजेंटों से टिकट नहीं खरीदना चाहिए।

अनारक्षित टिकट बिकंग के लिए यटीएस एप्प डाउनलोड करें!

प्रिय ग्राहक अपनी पात्रता जानें					
सांकेतिक मानक मेन्यू मेल एक्सप्रेस :- (खानपान शुल्क टिकट किराया में शामिल नहीं हैं)					
टी (टी बैग के साथ)/कॉफी (150 एमएल)	Rs. 10/-				
रेल नीर / पैकेज किए गए पेयजल (ठंडा)					
(a). 1 लीटर बोतल/1000एमएल	Rs. 15/-				
(b). 500 एमएल बोतल	Rs. 10/-				
जनता मील या इकोनॉमी खाना या जनता खाना	Rs. 20/-				
मानक नाश्ता					
वेजिटेरियन नाश्ता - ब्रेड बटर और कटलेट -02 वेज कटलेट (100ग्रा.) + 02 ब्रेड स्लाइस+ + 10 ग्रा. बटर चिपलेट + टोमेटा सॉस	Rs. 40/-				
वेजिटेरियन नाश्ता - इडली और वडा - 04नं. इडली (200ग्रा.)+04 नं- उड़द वडा (120 ग्रा.) +50 ग्रा. चटनी	Rs. 40/-				
नॉन-वेज नाश्ता - 2 अंडों का ऑमलेट + 02 ब्रेड स्लाइ्स + 10 ग्रा- बटर चिपलेट + टोमेटा सॉस	Rs. 50/-				
मानक पुलाव भोजन - दोपहर का भोजन / डिनर					
वेजिटेरियन - चावल (150ग्रा.) + परांठा (02 नं.) /चपाती (04नं.) + दाल/सांभर (150ग्रा.) + मिक्स वेज (100ग्रा.) + आचार सैशे + 250 एमएल पैकेज्ड पानी का गिलास	Rs. 80/-				
नॉन-वेजिटेरियन - चावल (150ग्रा.) + परांठा (02 नं.) /चपाती (04नं.) + दाल/सांभर (150ग्रा.) + अंडा करी (02 नं. अंडे) + आचार सैशे + 250 एमएल पैकेज्ड पानी का गिलास	Rs. 90/-				
	Rs. 130/-				

नॉन-वेजिटेरियन - चावल (150ग्रा.) + परांठा (02 नं.) /चपाती (04नं.) + दाल/सांभर (150ग्रा.) + चिकन करी + आचार सैशे + 250 एमएल पैकेज्डपानीकागिलास	
शाकाहारी बिरयानी (350 ग्रा) - पुलाव में पैक 70 ग्राम सब्जियों सहित 270 ग्राम की बिरयानी + 80 ग्राम ब्रांडेड दही + 12 ग्राम अचार + टिशू पेपर + सैनिटाइज़र (1एमएल) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच	Rs. 80/-
अंडा बिरयानी (350 ग्रा) - पुलाव में पैक 2 अंडे सहित 270 ग्राम की बिरयानी + 80 ग्राम ब्रांडेड दही + 12 ग्राम अचार + टिशू पेपर + सैनिटाइज़र (1एमएल) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच	Rs. 90/-
चिकन बिरयानी (350 ग्रा) - पुलाव में पैक 70 ग्राम बोनलेस चिकन सहित 270 ग्राम की बिरयानी + 80 ग्राम ब्रांडेड दही + 12 ग्राम अचार + टिशू पेपर + सैनिटाइज़र (1एमएल) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच	Rs. 110/-

राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत तथा अन्य ट्रेनों में खानपान की जानकारी के लिए, कृपया http://menurates.irctc.co.in/ पर देखें